संख्याः 4355 / VII-2 / 133–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 अगस्त, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1591 / बजट–08 / ब्याज उपा0 / 2007–08 दिनांक 13 अगस्त, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान योजनान्तर्गत कुल **रू0 1,00,00,000 / --(रू0 एक करोड़ मात्र)** की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि स्वीकृत धनराशि जनपदों को उनकी मांग के अनुरूप नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत योजना की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस मद में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो एवं लाभार्थियों द्वारा योजना प्रारम्भ कर दी गयी हो।

5– स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं लाभार्थियों की सूची माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि का विवरण भी उपलब्ध करायें।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीषर्क–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 17–लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 334/XXVII(2)/2007 दिनांक 24 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 4355(1)/VII-2/193–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।